

डिक्री मुकदमा इत्तदाई
(आर्डर 21 रूल्स 6 व 7 जात्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी विलाड़ा
इजलास : हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 10/2013

वादीगण :

- 1- रमेश पुत्र श्री शिवलाल
- 2- दुर्गादेवी पुत्री श्री शिवलाल
जातियान सरगरा निवासीगण
उचियार्डा तहसील विलाड़ा
जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1- बाबुलाल पुत्र श्री हजारीराम
- 2- छैलाराम पुत्र श्री गोपाराम
- 3- पानीदेवी पत्नी श्री शिवलाल
- 4- दुर्गाराम पुत्र श्री शिवलाल
- 5- कानाराम पुत्र श्री गोपाराम
- 6- मैना पुत्री श्री गोपाराम
जातियान सरगरा निवासीगण
उचियार्डा तहसील विलाड़ा
- 7- सरकार जरिये तहसीलदार
विलाड़ा
- 8- सेणीदेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार
जाति सरगरा निवासी चंडावल
तहसील सोजत जिला पाली
- 9- लीलादेवी पत्नी श्री कानाराम
जातियान सरगरा निवासी
उचियार्डा, तहसील विलाड़ा

निर्णय दिनाक 15-06-2017

दावा बाबत् 88, 188 आर.टी.एक्ट यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास
किलई रूबरू हाजरी हमारे मिनजानिब मुद्दई श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
वादीगण की ओर से मिनजानिब मुदायलाह श्री राजेन्द्र पटेल प्रतिवादी सं. 7 की
ओर से व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 व 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व
प्रतिवादी सं. 8 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत गोयल पेश होकर हुक्म दिया
जाता है, वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम
बरना तहसील विलाड़ा की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 1445
रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं. 1509 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं.
1490 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं. 1521 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा
भूमि में से वादी सं. 1 को 1/16 हिस्से का तथा वादी सं. 2 को 1/16 हिस्से
का तथा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 1510 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा के 1/2
हिस्से की भूमि में से वादी सं. 1 को 1/16 हिस्से का तथा वादी सं. 2 को
1/16 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व
प्रतिवादी सं. 9 का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रारम्भ से ही कोई



सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
विलाड़ा

विक्रय पत्र के आधार पर बतौर खातेदार के रूप में दर्ज नाम को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण के उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से के अलावा शेष वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 2 से 6 के नाम से निर्णय में वर्णित अनुसार उनका निहित हक व हिस्सा के संबंध में उनका नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार बिलाड़ा अमल दरामद की कार्यवाही करे। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 व 8 से 9 तक को जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण को उनकी उपरोक्त घोषित खातेदारी कृषि भूमि के कब्जा काश्त में न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जाती है।

तीज मुबलिक बाबत्
 खर्चा इस मुकदमें में मयसूद वगैराह की सदी सलाना आज तारीख
 वसूलयाबी तक को अदा करें। बसीक्त मेरे दस्खत व मुहर आज
 तारीख 15-6-2017 को जारी की गई।



(हरीसिंह लम्बोरा)

सहायक कलेक्टर ~~कलेक्टर~~ अधिकारी

~~एक उप खण्ड अधिकारी~~

	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह बिलाड़ा	रूपया	पैसे
स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत स्टाम्प			मेहनताना वकील		
वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय हुक्म नामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		



(हरीसिंह लम्बोरा)

सहायक कलेक्टर ~~कलेक्टर~~ अधिकारी

~~एक उप खण्ड अधिकारी~~

~~बिलाड़ा~~